

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette
सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-16122023-250717
SG-DL-E-16122023-250717असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 364]	दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 15, 2023/ अग्रहायण 24, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 334
No. 364]	DELHI, FRIDAY, DECEMBER 15, 2023/ AGRAHAYANA 24, 1945	[N. C. T. D. No. 334

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIभूमि एवं भवन विभाग
(भूमि अधिग्रहण भाखा)
अधिसूचना

दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2023

फा. सं. 9(8)/भूमि एवं भवन/भू0अधि0/2022/8224.—गृहमंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं0एस0ओ0 2740 (ई) के साथ पठित दिनांक 21 जुलाई, 2015 की अधिसूचना एस0ओ0 2004 (ई) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2014 के नियम 3 के उप-नियम (1) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राजस्व संपदा ग्रास बंदुसराय में खसरा सं0 31/12/1 (03 बिस्वा 02 बिस्वंसी) को सम्मिलित हुए नजफगढ़ अपवाहिका पर आरडी 14468एम के ऊपर 4 लेन आरसीसी पुल का निर्माण करने के प्रयोजनार्थ भूमि अधिग्रहण का प्रयोजन रखते हैं। मानव पारिस्थितिकी विद्यालय, अम्बेडकर विश्वविद्यालय,

लोथियन रोड, कश्मीरीगेट, दिल्ली-110006 को दिनांक 15/12/2023 की अधिसूचना फा0 सं0 9(8)/भूमि एवं भवन/भू0अधि0/2022/8213 के द्वारा पूर्वोक्त भूमि के संबंध में सामाजिक प्रभाव आंकलन(एसआईएस) अध्ययन करने के लिए एक संगठन के रूप में स्थापित किया गया है।

आगे, सामाजिक प्रभाव आंकलन का मुख्य उद्देश्य आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण तथा जन-सुनवाई के लिए हित धारकों तथा जनता से परामर्श करना है। सामाजिक प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन तथा सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना के लिए समयावधि शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से छह माह की होगी तथा इसे प्रभावी क्षेत्रों में विशिष्ट स्थानों पर तथा जिला कलेक्टर (दक्षिण-पश्चिम), कापसहेड़ा, नई दिल्ली-110037 के कार्यालय में, जैसी भी स्थिति हो, वेबसाइट, पोस्टर, सूचना-पत्र एवं जन-सुनवाई के माध्यम से प्रदर्शित किया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अशोक कुमार यादव, उप-सचिव (भूमि एवं भवन)

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

(LAND ACQUISITION BRANCH)

NOTIFICATION

Delhi, the 15th December, 2023

F. No. 9(8)/L&B/LA/2022/8224.—In the exercise of the powers conferred by sub section (1) and (2) of section 4 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) read with sub-rule (1) of rule 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2014, read with Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 2740(E) dated 21st October 2014, read with S.O. 2004 (E) dated 21st July 2015, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, intends to acquire land for the purpose for construction of 4 lane RCC bridge at upstream of RD 14468m on Najafgarh Drain comprising in Khasra No. 31/12/1 (03 Biswa 02 Biswansi) in Revenue Estate Village Badusarai. The School of Human Ecology, Dr. B.R. Ambedkar University Delhi, Lothian Road, Kashmere Gate, Delhi -110006 has been established as an organisation to carry out Social Impact Assessment (SIA) study in relation to aforesaid land vide Notification No. 8213 dated 15/12/23.

Further, the main objectives of Social Impact Assessment are consultation with stake holders and Public, Survey and public hearing wherever required. The time period for Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan will be six months from date of publication of this notification in the official gazette and same will be disclosed by the way of websites, posters, leaflets and public hearing as the case may be at the conspicuous places in affected areas, and in the office of District Collector (South West), Kapashera, New Delhi - 110037.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor,
National Capital Territory of Delhi,

ASHOK KUMAR YADAV, Dy. Secy. (L&B)